Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor : 2.0778, Volume 07, No. 01, January, 2017, pp. 304-306

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की सामाजिक उपलब्धियों का अध्ययन

डॉ० कमलेश बाबू*
डॉ० मनीष कुमार**

सारांश

अम्बेड़कर ग्राम विकास योजना उत्तर प्रदेश मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास की योजना है इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के आर्थिक सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए लागू की गयी थी इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रम संचालित किये गये है। जिनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से सम्बन्धित जिलाधिकारी पर होता है। वर्तमान में इस योजना का स्वतंत्र स्वरूप समाप्त कर दिया गया है। इस योजना का विलय समग्र ग्राम विकास योजना में कर दिया गया है। वर्तमान डॉ० राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना चल रही है।

प्रमुख शब्दः सामाजिक, वर्णव्यवस्था, उद्यमशीलता, विकास, सामाजिक परिवर्तन, अनुसूचित जाति।

परिचय

भारतीय समाज सदैव से ही आर्थिक विकास के अनुकूल नही रहा है। कुछ विद्धानों का मत यह भी है कि जब से भारतीय समाज की वर्णव्यवस्था, जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई तब से समाज अनेक कुंप्रथाओं, रूढ़ियों, परम्पराओं और अनेक बुराईयों में जकड़ता गया जिसके फलस्वरूप सामाजिक पतन के साथ–साथ आर्थिक पतन भी हुआ भारत में आर्थिक विकास को बाधित करने वाली सामाजिक बुराईयों में सबसे बड़ी एवं गम्भीर बुराई आस्पृष्यता अर्थात् छुआ–छूत है जो आदिकालीन वर्ण व्यवस्था ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित है। इन चार वर्ण रूपी स्तम्भों पर हिन्दू समाज का भवन खड़ा है। चूंकि यह चारों स्तम्भ समान नही हैं इसलिए इस भवन क गिरना निश्चित है। सबसे ऊपर ब्राम्हण उसके नीचे क्षत्रिय उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शुद्र है अतः शूद्र रूपी नींव की निर्बलता सामाजिक ढ़ांचे को अस्त–वस्त कर सकती है। और इसी वर्ग की सुदृढ़ता सामाजिक ढांचे को मजबूत आधार प्रदान कर सकती है किन्तु अन्य वर्गो द्वारा ऐसा नही सोचा गया। फलस्वरूप सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न होने लगी। जाति प्रथा ने व्यवसाय के चुनाव में इच्छा, योग्यता और प्रेरणाओं का दमन किया, उद्यमशीलता को पनपने नहीं दिया और आर्थिक प्रेरणाओं को सीमित रखते हुए समाज की उत्पादकता को स्तरीय बनायें रखा। आर्थिक विकास हेतु तथा अनार्थिक उत्थान हेतु भारतीय सामाजिक ढांचे मे व्यापक सुधार की आवश्यकता थी इस आवश्यकता ने समाज में अनेक सुधारको को जन्म दिया जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने हेतु जीवन भर संघर्ष किया और सामाजिक उत्थान के साथ–साथ आर्थिक विकास हेतु आवश्यक सामाजिक परिवर्तनों को विकसित किया। इन्हे विकसित करने वाले इन महान भारतीय सुधारकों में से एक बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर थे जिनका जन्म महाराष्ट्र में अस्पृश्य कहे जाने वाले महार जाति में 14 अप्रैल, 1891 में हुआ था।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, वाई० डी० (पी०जी०) कॉलेज, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।
** असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, एस०एस० (पी०जी०) कॉलेज, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की सामाजिक उपलब्धियाँ

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाए अनुसूचित जाति व जनजाति के जीवन स्तर, रहन–सहन एवं आर्थिक स्तर को उच्चीकृत करती है। तथा उनके ग्रामों को आधार भूत सुविधाओं से आच्छादित करती है। इस आधार पर विकास की कार्य योजना के तीन अंग है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभर्थियो का व्यक्तिगत विकास, उनकी बस्तियो का सामूहिक विकास विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया है।

- **स्वच्छ शौचालय** :– अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गाँवों के व्यक्तियों को स्वच्छ शौचालय बनवाकर सरकार देती है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के समुदाय विशेष के लोगो को इस योजना का लाभ मिलता है जिससे ग्रामीणों की सामाजिक विकास दर बड़ी है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति के सीमांत किसानों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरो को निशुल्क स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना है। जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा उठ सके और उनका सामाजिक विकास भी हो।
- **स्वच्छ पेयजल** :– इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के परिवारों के बीच एक इन्डिया मार्का हैन्ड पम्प लगवाना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति व जनजाति वस्तियों में यह योजना शत–प्रतिशत शासकीय ढंग से संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ऐसे ग्रामों मजरो तथा वस्तियो में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। जहाँ पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नही है वहाँ स्वस्थ्य पेयजल व्यवस्था को लागू कराना है।
- **एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम** :– इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राामों के समस्त परिवारों को एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन वर्ग की आय व संसाधनो को बढाना है। इस हेतु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को ऋण व अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह सहायता ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है। जिससे लाभार्थियों के लिए उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन हो सकें और उन्हे निरंतर आय प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के कुल परिव्यय में केन्द्र व राज्य का योगदान आधा–आधा होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों के लिए है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों को विशेष वरीयता प्रदान की जाती है।
- **इन्दिरा आवासः**– चयनित ग्रामों के पात्र परिवारों को निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता देना और इन्दिरा आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल अम्बेडकर ग्रामों के लाभार्थियों को आवास आवंटित करना। इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1986 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उपयोजना के रूप में आरम्भ की गयी थी। वर्ष 1989 में इस योजना का नाम जवाहर योजना मे विलय कर दिया गया और वर्ष 1996 में इसे जवाहर योजना से अलग करके स्वतंत्र रूप से लागू कर दिया। इस योजना की मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जन–जाति के गरीब परिवारों को निशुल्क भवन उपलब्ध कराना है। वर्तमान में लोहिया आवास योजन क्रियाशील है।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण** :– इस योजना के तहत चयनित ग्रामों का ग्रामीण विद्युतीकरण किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है ग्रामीण विद्युतीकरण होने से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियो के घर का विद्युतीकरण होने से रहन–सहन के स्तर में सुधार हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक समुदाय विशेष के लोगो को इस योजना का लाभ देकर सामाजिक धरातल पर लाकर उगड़ी जाति के बराबर लाकर खड़ा करने का प्रयास किया गया था।

- **पक्के सम्पर्क मार्गो का निर्माणः–** इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को विशेष अभियान चलाकर पक्के सम्पर्क मार्गो को मुख्य मार्गो से जोड़ने का कार्य किया जाता है। जिससे ग्रामीण अपने उत्पादित उत्पाद को आसानी से मण्डीयो तक लाकर मण्डीयो में ऊँची दर पर बेच सकते है तथा बाजार से उन्नतशील बीज दवाईयाँ को लेकर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते है इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ग्रामों चयन करके पिछड़ी जातियों का सामाजिक विकास करना है। इस योजना के लागू होने से लोगो का सामाजिक विकास हुआ है।
- **स्वयं सहायता समूहों का गठन :–** स्वयं सहायता समूह इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक के लिए सब और सबसे लिए एक के सूत्र में बांधने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। स्वयं सहायता समूह नावार्ड की सहायता से स्वयं सहायता समूह खोले गये। इस योजना के तहत कम पूँजी वाले लोग भी अपनी पूँजी अपनो के लिए कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाती है। स्वयं सहायता समूहों को उत्पादक कार्यो के लिए बैंके ऋण भी उपलब्ध कराती है।
- **कुटीर उद्योगः–** जिन अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के पास पर्याप्त मात्रा में कृषि नही है और पुराने धन्धे ही अपनाना चाहते है। उन्हे नये तकनीकी विकास के साथ उनके धन्धो के पुराने तरीको में विविध परिवर्तन लाकर उन्हे लघु व कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है जिससे एक समुदाय विशेष का सामाजिक को विकास हुआ है।
- **बाल विकास योजना :–** अम्बेड़कर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभर्थियों के बच्चों को शिक्षा तथा उनको व उनकी माताओं को निःशुल्क पौष्टिक आहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के लागू होने से इस समुदाय के लोगो का सामाजिक का स्तर काफी ऊँचा उठा है।

निष्कर्ष

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियो हेतु संचालित विकास कार्यक्रमों की प्रगति अत्यन्त निराशाजनक रही है। इन्दिरा आवास, स्वच्छ शौचालय, पेयजल व्यवस्था से अम्बेड़कर ग्रामो को पूर्ण रूप से संतृप्त नही किया जा सका। इसके विपरीत समूहिक हित संचालित योजनाओं की प्रगति संतोषजनक कही जा सकती है। अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्गो की सुविधा से संतृप्त किया गया जो सन्तोषजनक संतृप्त हुये। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण से भी संतृप्त किया गया जो पूर्ण रूप से संतृप्त हुए। अम्बेड़कर ग्राम को स्वयं सहायता समूहों से लाभांवित करने का प्रयास किया गया जो संतृप्त नही हुये। एकीकृत ग्राम विकास योजन के अंतर्गत अम्बेड़कर ग्रामों का चयन किया गया जिनकी स्थिति संतोषजनक रही साथ ही अम्बेड़कर ग्रामों को लघु व कुटीर उद्योगो को चलाने के लिए प्रयास किया गया जो संतृप्त हुये अतः स्पष्ट है कि व्यक्तिगत लाभार्थियो हेतु संचालित योजनाओं की अपेक्षा सामूहिक हित हेतु संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान दिया गया है।

सन्दर्भ सूची

1 महावीरः वैदिक अर्थव्यवस्था
2 सिंह एस०पी०ः आर्थिक विकास एवं नियोजन
3 मुखर्जी एवं कुलश्रेष्ठ : भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र
4 इन्द्र : कौटिल्य का अर्थशास्त्र
5 अरूणेश सिंह : भारतीय अर्थशास्त्र
6 अम्बेड़कर ग्राम विकास योजना : विकास भवन शाहजहाँपुर
7 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : जिला ग्राम विकास अभिकरण शाहजहाँपुर

□□□